न्यायालयः– जिला एवं सेशन न्यायालय, जिला ब्यावर।

पीठासीन अधिकारी – हारून, आर.जे.एस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत याचिका संख्याः 359/2026, CIS No. 473/2026

कुलदीप सिंह उर्फ निक्की पुत्र हुकम सिंह, उम्र 24 साल, निवासी सुलियाखेड़ा बगड़ी कलालिया, पुलिस थाना सेन्दडा, जिला ब्यावर, राजस्थान।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, ब्यावर।

–––अभियोगी

जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अपराध अंतर्गत धारा 3/25 सपठित धारा 5/25 आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधन 2019)

उपस्थित।

1. श्री टीकम सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री ईश्वरचंद सोलंकी, विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य।

आदेश **दिनांकः 05.08.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.07.2026 को जगवेन्द्र सिंह, स.उ.नि. पुलिस थाना जवाजा मय जाप्ता मय सरकारी वाहन थाना से रवाना होकर शेरों का वाला जवाजा बोर्डर पर समय 04:40 PM पर पहुंच कर डिवाईडर लगाकर नाकाबन्दी शुरु की गयी। दौराने नाकाबन्दी मुखबीर खास ने सूचना दी कि एक लाल रंग की कार जिसके नम्बर RJ 14 CJ 3735 है, जिसमें एक लड़का बैठा है बजरी व गिट्टी का काम करता है। भीम की तरफ से ब्यावर जा रहा है। उसके पास अवैध हथियार है। गाड़ी की आगे की डिग्गी में रखा है। उक्त इत्तिला पर समय करीब 07:00 PM बजे भीम की तरफ से एक लाल रंग की कार आती हुयी दिखी जिसके नम्बर RJ 14 CJ 3735 थे जिसे जाप्ता की मदद से रूकवा कर कार चालक से नाम पता पूछा तो घबरा गया जिसको दोबारा आराम से नाम पता पूछा तो अपना नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र लादूराम, उम्र 26 साल, निवासी देवगढ़ खादी भण्डार के पीछे शक्ति नगर पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द होना बताया। जिस पर जाप्ता में से गवाह मामूर कर जाप्ता की मदद से तलाशी ली तो उक्त शख्स चन्द्रप्रकाश के पास कुछ नहीं मिला, कार की तलाशी ली गयी तो कार की आगे की डिग्गी में एक अवैध देशी पिस्टल रखी हुयी नजर आयी जिसे बाहर निकाल कर देखा तो उक्त देशी पिस्टल पुरानी इस्तेमाली है जिसकी स्टील के रंग की बोडी है। पिस्टल के सामने की ओर बैरल, बैरल की लम्बई 10 सेमी है। बैरल पर फोर साईड टिप है। पिस्टल के पीछे की ओर हैमर है तथा नीचे ट्रिगर व ट्रिगर गार्ड बना है। ट्रिगर गार्ड के पास एक मैगजिन कैच लगा है। हत्थे पर दोनों ओर कॉफी कलर का

प्लास्टिक का कवर लगा है जिसके दोनों ओर दो–दो स्क्रू लगे हैं तथा पिस्टल के हैमर व स्लाईड पर धारियां बनी हुई हैं। पिस्टल में मैगजीन लगी हुई है, जिसे खोलकर चौक किया तो मैगजीन के अन्दर दो जिन्दा राउण्ड मिले दोनों राउण्डों पर पीछे कैप पर के.पी 7.65 लिखा हुआ है। राउण्ड की लम्बाई 2.5 सेमी है पीले रंग के पीतलनुमा धातु के है। पिस्टल की बोडी की लम्बाई 15 सेमी है व हत्थे की 9.5 सेन्टी मीटर लम्बाई है। जिस पर शक्स चन्द्रप्रकाश से पूछा क्या है तो उसने भी देशी पिस्टल होना बताया। शक्स चन्द्रप्रकाश की तलाशी में पिस्टल के अलावा दो मोबाईल एक वीवो कम्पनी का व दूसरा ओपो कम्पनी का मिला। जिस पर उक्त शक्स चन्द्रप्रकाश को उक्त देशी पिस्टल मय दो जिन्दा कारतूस के अपने कब्जे में रखने बाबत लाइसेंस/परमिट वैध अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। आरोपी चन्द्रप्रकाश द्वारा हथियार मय दो कारतूस के कुलदीप सिंह उर्फ निक्की से खरीदना बताया। तत्पश्चात् मौके की कार्यवाही पूर्ण की गई तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना जवाजा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 216/2026 अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधन 2019) में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त कुलदीप सिंह उर्फ निक्की के विरुद्ध धारा 3/25 सपठित धारा 5/25 आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधन 2019) के तहत दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 27.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

4. बहस पक्षकारान सुनी गई।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान तर्क रहा कि प्रकरण से संबंधित तमाम तफ्तीश तकमील एवं बरामदगी पूर्ण हो चुकी है तथा अब कोई तफ्तीश, तकमील या बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थी/आरोपी से किसी तरह का कोई अनुसंधान होना बकाया नहीं है। प्रार्थी/आरोपी के विरुद्ध कोई भी आरोप प्रथमदृष्टया सिद्ध तथा प्रमाणित नहीं होता हैं। प्रार्थी/आरोपी का आरोपित अपराध से किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध सरोकार नहीं है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/आरोपी अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, जिसके अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रार्थी/आरोपी दिनांक 27.07.2026 से लगतार अभिरक्षाधीन है। प्रार्थी/आरोपी न्यायालय द्वारा देय सभी शर्तों की पालना करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

6. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता एवं संगीनता को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. मैंने बहस सुनी। तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अब तक की तफ्तीश से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधन 2019) की धारा 3/25 सपठित धारा 5/25 के तहत के तहत बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध देशी पिस्टल मय दो जिंदा कारतूस को क्रय–विक्रय करने का अभियोग है, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड अनुसंधान पत्रावली पर संलग्न है, जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	धारा	पुलिस थाना	वर्तमान स्थिति
01.	139/2024	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	जवर माईन्स सलुम्बर	–
02.	189/2025	115(2), 126(2), 190, 191(2), 3(5), 333, 351(3) BNS	जवाजा	–
03.	104/2025	189(2), 351(2), 324(4), 352, 333 BNS	सेन्दडा	चार्जशीट 70/12.09.2025
04.	152/2025	115(2), 126(2), 109(1) BNS व 3/25 Arms Act	सेन्दडा	चार्जशीट 52/11.10.2025
05.	96/2026	115(2), 127(2), 140(3), 189(2), 308(2) BNS	–	–

प्रकरण अभी प्रारंभिक स्तर पर है। अपराध धारा 3/25(1ख) आयुध अधिनियम में अधिकतम 05 वर्ष की सजा व धारा 5/25(1ग) आयुध अधिनियम में न्यूनतम 10 वर्ष अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। वर्तमान में इस तरह के अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है एवं इस तरह के अपराधों में जमानत का लाभ दिए जाने से युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात होगा और समाज में गलत संदेश जाएगा तथा इस प्रकार के आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण मिलेगा। अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता एवं संगीनता को मद्देनजर रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना मैं अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं समझता हूं।

–आदेश–

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त कुलदीप सिंह उर्फ निक्की पुत्र हुकम सिंह, उम्र 24 साल, निवासी सुलियाखेड़ा बगड़ी कलालिया, पुलिस थाना सेन्दडा, जिला ब्यावर, राजस्थान की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 **अस्वीकार** कर **खारिज** किया जाता है।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
ब्यावर।

9. आदेश आज दिनांक **05.08.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
ब्यावर।

PAWAN Steno Grade III "Authenticated Document" Digitally signed by PAWAN Date: 2026.08.05 16:50:58 +0530